



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2003
(17 चैत्र, 1925 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग-I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग-II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं	
भाग-III	प्रत्यायोजित विधान	
1.	अधिसूचना संख्या का० आ० 53/ह० अ० 6/2003/घा० 24/ 2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2003, भुगतान की गई राशि के चार प्रतिशत की दर पर अग्रिम में संगणित करने बारे।	267—268
2.	अधिसूचना संख्या का० आ० 54/ह० अ० 6/2003/घा० 24/ 2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2003, भुगतान की गई राशि के चार प्रतिशत की दर पर अग्रिम में, ऐसे भुगतान से कर कटौती करने बारे।	269—270
3.	अधिसूचना संख्या का० आ० 55/ह० अ० 6/2003/घा० 55/ 2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2003, आबकारी तथा कराधान विभाग में कार्यरत कराधान निरीक्षकों को नियुक्त करने बारे।	271—272

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
	4. अधिसूचना संख्या का० आ० 56/ह० अ० 6/2003/घा० 7/ 2003, दिनांक 7 अप्रैल, 2003, वैट व्यवहारी को घोषणा देने के अधधीन, शून्य दर पर संगणित करने बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	273—276
भाग-IV	शुद्धि पंक्तियां, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग III

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 अप्रैल, 2003

संख्या का० आ० 53/ह० अ० 6/2003/धा० 24/2003.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर, 2003 (2003 का अधिनियम 6), की धारा 24 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निदेश करते हैं कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रत्येक संविदी, चाहे नकदी में, समायोजन, खाते में जमा, देयों की वसूली, अथवा किसी अन्य रीति में भुगतान करते समय, चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में माल में सम्पत्ति का अन्तरण अन्तर्वर्तित करते हुए राज्य में सकर्म संविदा के निष्पादन के लिए किसी संविदाकार को किए गए भुगतान से किसी भी रीति में भुगतान की गई राशि के चार प्रतिशत की दर पर अग्रिम में संगणित कर की कटौती करेगा।

चन्द्र सिंह,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 7th April, 2003

No. S. O. 53/H. A. 6/2003/S. 24/2003.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 24 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (Act 6 of 2003), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby directs that with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette every contractee shall, at the time of making payment, whether by cash, adjustment, credit to the account, recovery of dues or in any other manner, deduct from the payment made to a contractor for execution of a works contract in the State involving transfer of property in goods, whether as goods or in some other form, tax in advance calculated at the rate of four percent of the amount paid in any manner.

CHANDER SINGH,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.